दिनांकः 04.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 15000/- रूपये का ईनामी वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 15000/- रूपये का ईनामी वांछित **अभियुक्त चन्दन पासवान पुत्र बिन्देश्वरी उर्फ विनोद पासवान निवासी ग्राम हाँडीचक थाना भगवानपुर जनपद बेगूसराय बिहार** को एनबीडब्ल्यू वाद संख्या-5764/22 संबंधित मु0अ0सं0-303/2018 धारा 420/467/ 471क भादवि व 66डी आईटी एक्ट चालानी थाना मण्डी को A.S.M फैक्ट्री के सामने सडक सैक्टर-8 मानेसर थाना सैक्टर–7 आई.एम.टी जनपद गुरूग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने अपने अन्य साथियों चन्द्रशेखर कुमार, राकेश कुमार व संजीव पासवान के साथ मिलकर पतन्जलि द्विव्या जल की फेन्चाईजी दिलाने के नाम पर ऑनलाईन ठगी की है और जेल जाने के डर से मै छिपता फिर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

चन्दन पासवान पुत्र बिन्देश्वरी उर्फ विनोद पासवान निवासी ग्राम हाँडीचक थाना भगवानपुर जनपद बेगूसराय बिहार।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 303/2018 धारा 420/467/471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 02 कमल कौशिक कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 04.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा फायरिंग कर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.01.2025 को वादी श्री यामीन पुत्र घसीट्टा निवासी मौ0 गांधी कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ने तहरीर किया कि अभियुक्त 1.उस्मान उर्फ कट्टा पुत्र इकराम निवासी गाँधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.नईम उर्फ बल्ली पुत्र मोबीन निवासी अज्ञात 3.सलमान पुत्र इकराम निवासी अज्ञात 4.इकराम पुत्र इसराम निवासी अज्ञात 5.मुर्सलीन पुत्र मोबीन निवासी अज्ञात 6.मुकीम पुत्र मोबीन निवासी अज्ञात 7.मोबीन पुत्र जिन्दा शाह उर्फ फकीर निवासी अज्ञात 8.मोशीन पुत्र जिन्दा शाह उर्फ फकीर निवासी अज्ञात 9.गय्यू पुत्र जमील निवासी अज्ञात 10.महफूज पुत्र जमील निवासी अज्ञात 11.बसीर पुत्र अजीज निवासी अज्ञात व आठ-दस व्यक्ति अज्ञात द्वारा एक राय होकर सामान्य आश्य के साथ हाथो में धार-दार व हाथो में लोहे की रोड लेकर जान से मारने की नियत से वादी व वादी के परिजन सलीम पुत्र घसीट्टा व फिरोज पुत्र कल्लु तथा शाकिर पुत्र सलीम के साथ मारपीट करना तथा उस्मान उर्फ कट्टा व नईम उर्फ बल्ली के द्वारा देशी तमंचे से फायर करना जिससे शाकिर पुत्र सलीम को गोली लग जाना व जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाते समय शाकिर की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 59/2025 धारा 3(5)/191(1)/190/109(1) /103(1)/115(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की कार्यवाही से भयभीत होकर दिनांक 10.02.2025 को अभियुक्त **उस्मान उर्फ कट्टा पुत्र इकराम निवासी गाँधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** द्वारा दिनांक 10.02.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये । आदेश क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **उस्मान उर्फ कट्टा पुत्र इकराम निवासी गाँधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 04.03.2025 को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर गांधी कालोनी से घटना मे प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

उस्मान उर्फ कट्टा पुत्र इकराम निवासी गाँधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 बीनू चौधरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **सलमान पुत्र इरफान निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 600/2023 धारा 125(3) सीआरपीसी) को ग्राम सलेमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र इरफान निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
2. का0 1967 अनुज चौधरी थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 135 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.03.2025 को पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 नशा शातिर तस्कर अभियुक्त **दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को नूर बस्ती जाने वाले रास्ते से मदरसा/खानका के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे से 135 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये)** मय आईटेल कम्पनी का मोबाइल के साथ बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 33/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा नशीले पदार्थो की खरीद/बिक्री करता हूँ। मैं पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे बरेली से यह नशीला सामान थोड़े सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व नशा करने वाले लोगों को मंहगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है स्मैक बेचकर कमाये हुए पैसों को मै अपने खाने पीने व घूमने फिरने व अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 135 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 आईटेल कम्पनी का मोबाइल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 19/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 141/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 236/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 958 धीरेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 04.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.03.2025 को **01 वारंटी आशीष काम्बोज पुत्र रमेश काम्बोज निवासी 1109 महावीर कालोनी हनुमान गेट यमुनानगर थाना सिटी जगाधरी हरियाणा** सम्बंधित वाद सं0-1398/2024 धारा 406 भा0द0वि0 को जगाधरी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशीष काम्बोज पुत्र रमेश काम्बोज निवासी 1109 महावीरकालोनी हनुमान गेट यमुनानगर थाना सिटी जगाधरी हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जगत सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर